न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 60/22 GCMS NO 2022/103

1. हजारीलाल पुत्र कन्हैया जाति जोगी निवासी मान्नोज तहसील टोडाभीम जिला करौली (मृतक)
1/1. श्रीमन
1/2. घनश्याम पिसरान हजारी
1/3. गुलाबी देवी
1/4. पार्वती देवी पुत्रियान हजारी समस्त जातियान जोगी निवासीयान मन्नोज तहसील टोडाभीम जिला करौली
2. कल्याण पुत्र भजनलाल जाति जोगी निवासी मन्नोज तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. गंगासहाय पुत्र किशोरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मन्नोज तहसील टोडाभीम जिला करौली(मृतक)
1/1. रामजीलाल पुत्र गंगासहाय(मृतक)
1/1/1. दिलीप कुमार
1/1/2. हरिओम पिसरान रामजीलाल जातियान ब्राहम्ण निवासी मन्नोज
1/1/3. पुष्पा
1/1/4. ममता
1/1/5. अनीता
1/1/6. सीमा पुत्रियान रामजीलाल जातियान ब्राहम्ण निवासीयान मन्नोज तहसील टोडाभीम जिला करौली
1/2. मन्नू पुत्र गंगासहाय जाति ब्राहम्ण निवासी मन्नौज तहसील टोडाभीम जिला करौली
1/3. अशोक कुमार पुत्र गंगासहाय जाति ब्राहम्ण निवासी मन्नौज तहसील टोडाभीम जिला करौली
1/3/1. जितेन्द्र
1/3/2. राजीव पिसरान अशोक
1/3/3. उर्मिला पत्नि अशोक कुमार समस्त जातियान ब्राहम्ण निवासी मन्नौज तहसील टोडाभीम जिला करौली
2. रामस्वरूप पुत्र सांवलियां जाति मीना निवासी मन्नौज तहसील टोडाभीम जिला करौली
3. हरिनारायण पुत्र जयलाल जाति मीना निवासी मन्नौज तहसील टोडाभीम जिला करौली (मृतक)
3/1. विमला पत्नि हरिनारायण
3/2. हर्षवर्धन
3/3. यशवर्धन पिसरान हरिनारायण
3/4. चेतन
3/5. कृपासिन्धु
3/6. हेमलता
3/7. कुसुमलता
3/8. साधना
3/9. अल्का पुत्रियान हरिनारायण

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:58:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

4. श्रीफल पुत्र राजूलाल
5. मनोहरी पुत्र जयनारायण
6. धर्मसिह पुत्र कमलराम
7. राजूलाल पुत्र श्योनारायण
8. जगमोहन पुत्र श्योनारायण
9. शिवलाल पुत्र श्योनारायण (मृतक)
9/1. रामपति पत्नि शिवलाल
9/2. मुंशीलाल
9/3. राकेश
9/4. राजेश पिसरान शिवलाल
9/5. खेलन्ती
9/6. लखनबाई पुत्रियान शिवलाल समस्त जातियान मीना निवासीयान मन्नौज तहसील टोडाभीम जिला करौली
10. हरिया पुत्र सांचया जाति मीना निवासी जिन्सी का पुरा टोड़ाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली
11. शिब्बूराम पुत्र मंगलराम जाति मीना निवासी जिन्सी का पुरा टोडाभीम जिला करौली (मृतक)
11/1. कैलाश
11/2. रायसिह पिसरान शिब्बूराम
11/3. दीपकमल
11/4. प्रदीप पिसरान बत्तूलाल
11/5. गिरधारी
11/6. नरेन्द्र
11/7. करण पिसरान बाबूलाल
11/8. कु0कमला पत्नि बाबूलाल
12. नानगाराम पुत्र जौहरी (मृतक)
12/1. अचल सिह
12/2. मानसिह पिसरान नानगाराम
12/3. शकुन्तला
12/4. धनफूली पुत्रियान नानगाराम समस्त जातियान मीना निवासीयान जन्सी का पुरा टोडाभीम जिला करौली
13. श्रीमती रामपति देवी पत्नि जयलाल जाति मीना निवासी दादनपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली
14. रेवडया पुत्र सोन्या जाति बैरवा निवासी त्रिशूल तहसील टोडाभीम जिला करौली (मृतक)
14/1. श्रीमती भग्गो पत्नि स्व0रेवडया
14/2. भगवान सहाय पुत्र रेवडया
14/3. विश्राम पुत्र रेवडया जातिया बैरवा निवासी त्रिशूल तहसील टोडाभीम जिला करौली
15. परसादी पुत्र गैदा जाति बैरवा निवासी त्रिशूल तहसील टोडाभीम जिला करौली(मृतक)
15/1. मोहरबाई पत्नि परसादी
15/2. लखन पुत्र परसादी
15/3. सुरेश पुत्र परसादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:58:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

15/4. सुनीता पुत्री परसादी समस्त जातियान बैरवा निवासीयान त्रिशुल तहसील टोडाभीम जिला करौली

16. प्रबल सिह पुत्र प्यारेलाल जाति मीना निवासी मन्नौज तहसील टोडाभीम जिला करौली

17. दी स्टेट आफ राजस्थान जरिये जिला कलेक्टर करौली

18. तहसीलदार टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली

रैस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 22/2011 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 20.1.20 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री सुरेश चंद शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री ईश्वर सोनी

दिनांक 20.6.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 20.1.2020 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/ अपीलांट संख्या 1 हजारी (मृतक) व कल्याण द्वारा दावा घोषणा खातेदारी,तकासमा ,इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम त्रिशूल स्थित आराजी साबिक खसरा न0 170/3 रकबा 15 बीघा 8 विस्वा मे प्रतिवादी गंगासहाय पुत्र किशोरी हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार था जिसमे अपनी आराजी को चारो तरफ से डोल मेड से महदूद कर रखा था। जिसके पश्चिम मे लगवा नहर दक्षिण मे गंगासहाय की दीगर जमीन को छोडकर पदमपुरा जाने वाला रोड है। खातेदार गंगासहाय ने ख0न0 170/3 के सम्पूर्ण भाग को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.11.88 को वादीगण को विक्रय कर कब्जा वादीगण कराया दिया गया। वादीगण ने लाखो रूपये लगाकर काबिले काश्त बनाया है। उक्त आराजी के किसी भी भाग से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नही है। भूमि क्रय करने के बाद भू प्रबंध विभाग द्वारा वादीगण के कब्जेकाश्त तथा खातेदारी की उक्त भूमि के स्थान की भूमि तथा आसपास की भूमि का नवीन ख0न0 292 रकबा 5.10 है0 बना है। किन्तु भू प्रबंध के अधिकारीगण ने ख0न0 292 की खातेदारी के इन्द्राज प्रतिवादी न0 1 ता 15 के हक मे गलत कर दी। जिसका मिलान क्षेत्रफल साबिक ख0न0 170/2 से गलत बनाया है। जबकि मौके पर नवीन ख0न0 292 का पश्चिमी दक्षिणी भू भाग पुराने ख0न0 170/3 रकबा 7 बीघा 14 विस्वा के बराबर का रकबा 1.94 है0 वादीगण के कब्जेकाश्त व खातेदारी का भू भाग है। भू प्रबंध विभाग द्वारा साबिक ख0न0 170/3 रकबा 15 बीघ्झा 8 विस्वा के नवीन ख0न0 278,297,326,339,343,344,348,433,342/948 कतई गलत व मौके विपरीत बनाकर इसके 1/2 भाग पर वादीगण का [illegible] नही है। इन खसरा नम्बरान के खातेदारी हजफ करने को तैयार है। नवीन ख0न0 343,344 [illegible] नही होकर नौरत्या पुत्र पून्या जाति बैरवा का कब्जा है। न्यायालय [illegible] न0 [illegible]/97 उनवानी नौरत्या बनाम कल्याण दावा इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी फैसला दिनांक [illegible]2.99 दावा डिकी कर ख0न0 343,344 पर इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी फैसला दिनांक [illegible]2.99 दावा डिकी कर ख0न0 343,344 पर खातेदार घोषित किया है। यह वादीगण एवं दीगर खातेदारान की खातेदारी हटाकर नौरत्या को खातेदार घोषित किया है। यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:58:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

मुकदमा ख0न0 343,344 साबिक ख0न0 170/2 का मानकर डिक्री किया गया है। इससे स्पष्ट है कि भू प्रबंध विभाग द्वारा तैयार किया गया नवीन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं मिलान क्षैत्रफल गलत है। वादीगण के कब्जा काश्त की आराजी ख0न0 170/3 के रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा के सहारे की आराजी नवीन ख0न0 292 का 28/255 भाग रकबा 0.56 है0 को भी प्रतिवादी गंगासहाय ने वादीगण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 21.6.97 को विक्रय कर दिया। इस प्रकार वादीगण ने रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 22.11.88 से रकबा 1.94 है0 एवं रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 21.6.97 से रकबा 0.56 है0 कुल रकबा 2.50 है0 का एक ही चक बना रखा है। उत्तर दिशा मे ख0न0 290 पूर्व दिशा मे 292 का शेष भाग है। ख0न0 170/3 के रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा का भू प्रबंध अधिकारीगण ने नवीन ख0न0 292 के पश्चिमी दक्षिणी भाग मे रकबा 1.94 है0 की खातेदारी प्रतिवादी न0 1 ता 15 के हक मे दर्ज कर दी। अब उनके मन मे बदयान्ति आ गई। प्रतिवादीगण ने वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि जमीन हमारी हो चुकी है हम काश्त करेगे एवं दीगर व्यक्तियो को विक्रय करेगे। इसलिए दावा वादीगण डिक्री किया जावे कि साबिक ख0न0 170/3 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा के बराबर नवीन रकबा 1.94 है0 के स्थान की आराजी नवीन ख0न0 292 के पश्चिमी दक्षिणी रकबा 1.94 है0 का मिन ख0न0 292/1 कायम किया जाकर वादीगण की खातेदारी मे दर्ज किया जावे इसी अनुसार नक्शा सीट बनाई जावे तथा नवीन ख0न0 278,326,330,343,344,348,433,342/948ग्राम त्रिशूल मे वादीगण की खातेदारी हजफ की जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण की मौके पर कब्जे काश्त आराजी मे दखलअन्दाजी नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश व प्राथमिक डिक्री विधि विरूद्व रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। वादीगण/अपीलांटगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञ व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया था। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांट के दावे पर गौर नही कर महज खातेदारी रिकार्ड मे अंकन के आधार पर बंटवारे के लिए प्राथमिक डिक्री कर भूल की है। उपरोक्त नम्बरान के बाबत अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.12.15 को डिक्री फरमाया जाकर ख0न0 292 का रकबा 5.10 है0 ग्राम त्रिशूल मे से 2.40 है0 रकबे का वादीगण/अपींलाटस को खातेदार काश्तकार घोषित फरमा दिया [illegible] हाजा मे अपील की गई। न्यायालय हाजा द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.12.15 मंसूख प[illegible]क[illegible]रिमाण्ड कर दिया। उक्त आदेश पर गौर नही कर कानूनी भूल की है। वादीगण [illegible] साबिक ख0न0 170/3 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा का 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.11.88 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। तथा सेटलमेंट विभाग द्वारा ख0न0 17[illegible]/3 से जो नवीन ख0न0 कायम किये थे वे वादीगण अपीलांटस के कब्जे काश्त मे नही थे। तथा जिनके कब्जे मे थे उन्होने राजस्व न्यायालय मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:58:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

दावा दायर कर डिक्री वटा लिये तथा वादीगण अपीलांट को ख0न0 292 के 2.40 है0 रकबे पर काबिज एवं दखील है। उसको अदालत मातहत द्वारा नजर अंदाज कर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत द्वारा वादीगण/अपीलांटस को महज 0.56 है0 का खातेदार मानकार दावा डिवीजन ऑफ होल्डिग का प्राथमिक डिक्री फरमाया जाकर कानूनी भूल की है। वादीगण/अपीलाटस द्वारा दो विक्रय पत्र दिनांक 22.11.88 व 21.6.97 से आराजी खरीद की थी। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। अदालत मातहत द्वारा निर्णय पारित करते समय दावा जवाब दावा काउन्टर क्लेम ,साक्ष्य व पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किये बिना वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पर गौर नही फरमाकर प्राथमिक डिक्री पारित कर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 20.1.20 को दावा प्राथमिक डिक्री कर दिया जिसमे पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.8.22 को नोटिस देने पर पता चला तो अपने अधिवक्ता से पूछताछ कर पत्रावली का अवलोकन करने पर समस्त कार्यवाही व आदेश का पता चला। इसलिए अपील जानकारी के आधार पर अन्दर मियाद एवं धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अर्ज है कि अधिनस्थ न्यायालय का मु0न0 22/11 मे पारित निर्णय निरस्त फरमाया जाकर वादीगण/अपीलांटस को ख0न0 292 मे 2.40 है0 ग्राम त्रिशूल का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात के बाबत पूर्व मे भी प्राथमिक डिक्री पारित की गई थी। जिसको न्यायालय हाजा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुना जाकर दावा प्राथमिक डिक्री किया गया है। आराजी भूमि खसरा न0 292 रकबा 5.10 है0 ग्राम त्रिशूल तहसील टोडाभीम मृतक परसादी पुत्र गेदा हिस्सा 63/510 रकबे का खातेदार काश्तकार है। परसादी की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 15/1 लगायत 15/4 खातेदार काश्तकार है। यह भूमि परसादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी है। तथा रेवेन्यू रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2059 से 2062 तक मे खातेदारी दर्ज है लेकिन बाद मे दर्ज नही हो पाई है। इस प्रकार इस भूमि मे प्रतिवादी न0 15/1 ता 15/4 खातेदार काश्तकार है। इन खातेदारो की भूमि ख0न0 292 मे टोडाभीम से बालघाट रोड सहारे पूर्व से पश्चिम की तरफ धर्मकांटा के सहारे उत्तर की तरफ समीप मे स्थित है। तथा हिस्से मे आई है तथा मौके पर कब्जा है। भूमि खसरा न0 292 रकबा 5.10 है0 ग्राम त्रिशुल मे प्रतिवादी न0 7 , 8 व 9 शिवलाल मृतक हिस्सा 1/9 के खातेदार काश्तकार है तथा हाल रेवेन्यू जमाबंदी मे इसी प्रकार खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की खातेदारी की भूमि पर काबिज काश्त है। जिसके अनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अंकन दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 31.3.17 की पालना मे रजिस्टर्ड विक्रयपत्रो एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही वर्तमान जमाबंदी ग्राम त्रिशूल के ख0न0 292 रकबा 5.10 है0 के समस्त खातेदारान का हिस्सा एवं कब्जा अनुसार बंटवारा स्कीम मंगवाई जाने हेतु आदेश विधिक रूप से दिये गये है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। इसलिए अपील खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:38:58 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । जिससे यह तथ्य सामने आये कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

विवादित आराजीयात के बाबत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पूर्ण निर्णय दिनांक 17.12.15 की अपील इस न्यायालय मे पूर्व मे भी अपील संख्या 32/16 उनवानी परसादी वगै0 बनाम रामजीलाल वगै0 प्रस्तुत की गई थी। जिसे इस न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु रिमाण्ड की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के आदेश की पालना मे पुनः सुनवाई की जाकर प्रकरण मे प्राथमिक डिकी पारित की गई है। अपीलाट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावे के तथ्यो पर गौर नही कर केवल मात्र रिकार्ड मे दर्ज खातेदारी अनुसार वाद पत्र प्राथमिक डिकी पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्रो कय किया जाकर कब्जा प्राप्त किया है परन्तु भू प्रबंध विभाग द्वारा अपीलाट की भूमि के जो मशीन खसरा न0 कायम किये है वह उन पर काबिज नही है। उन पर अन्य लोग काबिज होने के कारण उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर वाद पत्र डिकी करवाकर भूमि के बटा न0 कायम करवा लिये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को केवल मात्र 0.56 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया है जबकि अपीलांट/वादीगण द्वारा भूमि ख0न0 170/3 रकबा 15 बीघा 8 विस्वा मे से 1/2 हिस्सा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय की है। जिसकी पुष्टि पत्रावली मे उपलब्ध रजिस्टर्ड विकय पत्रो से होती है।। रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा इन विकय पत्रो के संबंध मे अपनी मौखिक सहमति दौराने बहस प्रकट की है। उपरोक्त विवेचन से प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पत्रावली मे उपलब्ध रजिस्टर्ड विकय पत्रो की रोशनी मे विवादित्त आराजीयात की मौके एवं कब्जे की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के प्रकरण संख्या 22/11 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 20.1.20 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित आराजीयात की रजिस्टर्ड विकय पत्रो की रोशनी मे साबिक एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर मौके एवं कब्जे की विधि अनुसार रिपोर्ट प्राप्त की जाकर उभयपक्ष का साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के न्यायालय मे दिनांक 18.8.25 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 20.6.25 को लिखाया जाकर सरे.इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:58:58 IST
Reason: SelfAttested